

scanned  
25-1-10  
w.o. Encl

29-1-10

Request-92

1521

प्रेषक,  
महेन्द्र दयाल,  
जिला न्यायाधीश,  
हरदोई ।

  
22-11

3426  
19

31  
11/2/10

8-2-10

सेवा में,  
जिला न्यायाधीश,  
कन्नौज ।

संख्या- /एक-28-09

दिनांक: जनवरी 12 2010

विषय:- स्वैक्षिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अर्न्तगत विशेष वेतन की स्वीकृति ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक 18731/वार-3426 एडमिन (ए) दिनांक 29-12-09 को मूल रूप में संलग्नक सहित इस अनुरोध के साथ आपको प्रेषित किया जा रहा है कि इस आदेश से सम्बन्धित अधिकारी को अवगत कराने का कष्ट करें क्योंकि श्रीमती निर्मला न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानान्तरण इस जनपद से छिबरामऊ, कन्नौज को हो गया है । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोषाधिकारी, हरदोई को सम्बोधित पत्र भी मूल रूप में अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है।


भवदीय,

संलग्नक: यथोपरि ।

(महेन्द्र दयाल)  
जिला न्यायाधीश,  
हरदोई।

संख्या-73 /एक-28-09 तद्दिनांक:-

प्रतिलिपि संयुक्त निबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को सूचनार्थ प्रेषित ।



(महेन्द्र दयाल)  
जिला न्यायाधीश,  
हरदोई।

जि. न्यायाधीश  
हरदोई

R-2118  
23-1-10  
1118

3211  
So Adm M/A

J-R (M)  
25-1-10

J-R (M)  
25-1-10

20  
23/1/10

AP Admin A-1/JR M

For Informatica

may file 2

PKSivakus


09/2/10

JR (m)

may file 2

15/2/10

AP

  
09-12-10

file

10/2/2010  
JR (M)

19-2-10

Request-92

To  
The District Judge  
Hardoi

Registered post

17

NO 18731 /IV- 3426 /Admin A dated 29-12-09  
Subject - Sanction of personal pay under  
Voluntary family planning programme  
to Smt Nirmala, Judicial  
Magistrate, Hardoi

Sir,

I am directed to send herewith  
an attested copy of Court's order dated  
07.11.09 sanctioning personal pay under  
Voluntary family planning programme equal  
to one increment with effect from 25.9.06  
to Smt Nirmala, Judicial Magistrate,  
Hardoi on the above subject and to  
request you kindly to take necessary  
action, under intimation to this court

Yours faithfully

AR (Admin A-2)

may kindly  
see the order  
of Honble Mr  
Justice S.R. Alam  
dated 07.11.09  
and issue  
the draft

As Solicitors

11/11/09

Signature  
11-11-09

As  
12/11/09

As/for Secy

Enc1 - an attested copy  
of Court's order dated  
07.11.09

As  
Joint Registrar

18

NO 18732 /IV- 3426 /Admin A dated 29-12-09  
copy forwarded for along with an attested  
copy of Court's order dated 07.11.09 forwarded  
for information and necessary action to -

- 1- The District Judge, Hardoi with reference  
to this end NO. 499/I-28-09 dated 25.5.09.
- 2- The Treasury office, Hardoi
- 3- Smt Nirmala, Judicial Magistrate, Hardoi

Encl. as above

As  
Joint Registrar

30-5-09  
24/5/09

Request 92

2/6/09

Regd No	7486
Sl	W/3426
Serial	12

प्रेषक,

श्री मती निर्मला,  
न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय  
हरदोई।

24-6-09

सेवा में,

14/4/09

माननीय महानिबंधक,  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

द्वारा: माननीय जनपद न्यायाधीश,  
हरदोई।

विषय: स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत वयैक्तिक वेतन  
वेतन स्वीकृति हेतु :-

महोदय,

उपरोक्त विषयक विनम्र निवेदन है कि दिनांक-06.02.09 को मेरे द्वारा स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत वयैक्तिक वेतन स्वीकृति हेतु भेजा गया था, परंतु उसके साथ में अपने पति श्री हरनाम जो कि सरकारी सेवा में है उनके विभाग को स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत उनका प्रमाण-पत्र मेरे द्वारा नहीं भेजा गया था। जो आप के पत्र संख्या-3721/वार 3426/एडमिन।ए। दिनांकित-26.3.09 इलाहाबाद, में प्रमाण-पत्र मांगा गया है जिसके अनुपालन में प्रमाण-पत्र के साथ में प्रार्थना-पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित किया जा रहा है।

1635  
G. A. ...  
J.R.M.  
25  
02-06-09  
J.R.M.

PS to Rg

withenl page

दिनांक- 26.5.09

-: संलग्नक :-

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1 [लेखा]  
30 प्र० शासन, लखनऊ.

निर्मला  
न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय  
न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय)  
हरदोई  
26.5.09

2 JUN 2009

PRICE OF THE DISTRICT JUDGE HARDOI  
Encl No 499/ I-27-08  
Forwarded Date 27/5/09

District Judge  
Hardoi

10-3-09 27-5-09

उत्तर प्रदेश शासन,  
प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1 {लेखा}  
संख्या: 104 /43-1- एकाउन्ट- 2009  
लखनऊ : दिनांक : 21 मई, 2009

Request 92

कार्यालय झाप

श्री हरनाम, अनुभाग अधिकारी, सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2  
के प्राधान्य पत्र दिनांक 7.4.2009 के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कले का  
निदेश हुआ है कि प्रशासनिक सुधार सचिव शाखा द्वारा उन्हें स्वेच्छिक  
परिवार कल्याण के अन्तर्गत वैयक्तिक वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

✓ श्री हरनाम,  
अनुभाग अधिकारी  
सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2  
उत्तर प्रदेश सचिवालय।

{ध्यानपाल सिंह चौहान}  
उप सचिव

Photo Copy Attested  
22/5/09

अपर सिविल जज (जू. डि.)  
कोर्ट नं-3, हरदोई.